FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0105 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 22/04/2026 11:07 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 17/04/2026 **Date To (दिनांक तक):** 20/04/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:10 बजे **Time To (समय तक):** 13:56 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 22/04/2026 **Time (समय):** 10:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 22/04/2026 11:07:15 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 70 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** SDM KARYALAY, BANDIKUI JILA DAUSA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SURENDRA KUMAR SHARMA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAM PRAKASH SHARMA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1987 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	WARD NO. 25, GUDA ROAD BANDIKUI, DAUSA, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	WARD NO. 25, GUDA ROAD BANDIKUI, DAUSA, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	ADITYA KUMAR SHARMA		पिता:LATE. VINOD KUMAR SHARMA	1. ANCHI KA BAS WARD NO. 30,BANDIKUI,DAUSA,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		15,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 15,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

मुकदमा हालात इस प्रकार है कि एसीबी की हैल्पलाइन नम्बर 1064 प्रभारी से प्राप्त इतला पर मन उप अधीक्षक पुलिस शब्बीर खान द्धारा दिनांक 17.04.2026 को समय 10.02 एएम पर परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार के मोबाइल नं. पर कॉल कर वार्ता की गई और परिवादी को अपना परिचय दिया जाकर उसका नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम सुरेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट, न्यायालय परिसर, बांदीकुई, जिला दौसा में कार्यरत होना बताया और बताया कि मेरे द्धारा एसडीएम कोर्ट बांदीकुई में एक दावा मानसी बनाम शिवलखन वगै. के नाम से में पेश किया गया है, उसके पश्चात एसडीएम साहब श्रीमान रामसिंह राजावत ने उक्त पत्रावली में स्टे देने की एवजं में एसडीएम कार्यालय में डेपुटेषन पर कार्यरत कर्मचारी आदित्य शर्मा के मार्फत 30 हजार रूपये की मांग करना शुरू कर दिया, जब मेरे द्धारा उक्त रिश्वत की राशी बहुत अधिक होने की बात उक्त कर्मचारी से कही तो उक्त कर्मचारी ने कहा कि एसडीएम साहब इससे कम रूपयों में स्टे आदेश नहीं करेंगे। मैं उक्त वादपत्र में वादीया का वकील हूं। मैं मेरे जायज काम के लिये एसडीएम साहब व उनके कर्मचारी आदित्य को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं और उनको रिश्वत लेते हुये पकडवाना चाहता हूं। मेरा कोर्ट में कार्य होने से आपके कार्यालय नहीं आ सकता, आप आपके कार्यालय से स्टाफ भेज देना मैं रिश्वत मांग सत्यापन करवा दुंगा। मैं, आदित्य से समय 01 पीएम के बाद मिलूंगा। इस पर परिवादी को आवश्यक प्रक्रिया समझाईश कर व हिदायत देकर निर्देश दिये गये कि आप बांदीकुई ही मिले, मैं आपसे आज ही बांदीकुई पहूंच कर आपसे सम्पर्क कर लुंगा। उक्त सूचना मन उप अधीक्षक पुलिस को न्यायालय में प्राप्त हुई थी। न्यायालय से रवाना होकर कार्यालय पहॅूच रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु विभागीय डिजिटल वॉईलस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी से निकालकर उसमे नया सैल व नया मैमोरी कार्ड 16 जीबी सैनडिस्क को लगाकर अपने साथ रखकर मय लैपटॉप, प्रिन्टर व आवश्यक सामान के एसीबी स्टाफ श्री नरेन्द्र कुमार, सहायक उप निरीक्षक, श्री सुण्डाराम हैड कानि. 02 को हमराह लेकर सरकारी वाहन बोलेरो से बजानिब बांदीकुई के लिये रवाना होकर कान्हा पवित्र भोजनालय ग्राम फुलेला, बांदीकुई पहूंचा जहां मन उप अधीक्षक पुलिस द्धारा परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा को कॉल कर बुलाया गया। कुछ समय बाद परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा उपस्थित आया जिसे अपना व हमराहीयान का परिचय दिया गया जिस पर परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर के नाम संबोधन का एक स्वयं का हस्तलिखित प्रार्थना पत्र कार्यवाही करवाने के लिए इस आषय का पेश किया कि ''मेरे द्धारा एक दावा मानसी बनाम शिवलखन वगै. के नाम से एसडीएम कोर्ट बांदीकुई में दिनांक 15.04.2026 को पेश किया गया था, उसके पश्चात एसडीएम साहब श्रीमान रामसिंह राजावत ने उक्त पत्रावली में स्टे देने की एवजं में 30 हजार रूपये की मांग अपने अधीन कार्यरत डेपुटेषन वाले कर्मचारी आदित्य शर्मा के मार्फत करना शुरू कर दिया, जब मेरे द्धारा उक्त रिश्वत की राशी बहुत अधिक होने की बात उक्त कर्मचारी से कही तो उक्त कर्मचारी ने कहा कि एसडीएम साहब इससे कम रूपयों में स्टे आदेश नहीं करेंगे। मैं उक्त वादपत्र में वादीया का वकील हूं। अब आज दिनांक 17.04.2026 को जब मैने सुबह आदित्य जी को उक्त पत्रावली में स्टे के संबंध में बात की तो उन्होने मुझे एसडीएम कोर्ट बांदीकुई में आने के लिये कहा एवं कहा कि रूपये अपन आमने सामने बैठकर कर लेंगे। आप आज मुझसे मिल लेना। मैं मेरे जायज काम के लिये एसडीएम साहब व उनके यहा कार्यरत कर्मचारी आदित्य को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। और उनको रिश्वत लेते हुये पकडवाना चाहता हूं। मेरी इनसे कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। अतः रिपोर्ट पेशकर निवेदन है कि कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे'' प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया जाकर अपने पास रखा गया। परिवादी से मजीद पूछताछ करने पर उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं का हस्तलिखित होना बताया। प्रार्थना पत्र एवं मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत लेनदेन का पाया जाने पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्धारा विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड 16 जीबी सैनडिस्क को अपने पास से निकालकर उसे चालू एवं बंद करने की विधि समझाकर श्री सुण्डाराम हैड कानि. को सुपुर्द कर श्री सुण्डाराम हैड कानि. निर्देश दिये गये कि परिवादी को संदिग्ध आरोपी के पास भेजने से पहले विभागीय वॉईस रिकॉर्डर को चालू करके अपनी आवाज से नाम व दिनांक बोलकर ही रवाना करें तथा परिवादी के बाहर आने पर विभागीय टेप रिकॉर्डर को वापस प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर अपने पास रख परिवादी को साथ लेकर मन उप अधीक्षक पुलिस के पास आने की हिदायत के साथ समय 01.15 पीएम पर परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा व श्री सुण्डाराम हैड कानि. 02 को मांग सत्यापन हेतु परिवादी की कार से एसडीएम कार्यालय बांदीकुई के लिए रवाना किया गया। करीब समय 2.35 पीएम पर श्री सुण्डाराम हैड कानि. मय परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार

शर्मा के कान्हा पवित्र भोजनालय पर मन उप अधीक्षक पुलिस के पास उपस्थित आये और श्री सुण्डाराम हैड कानि. ने अपने पास से रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ता का रिकार्डशुदा विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर मय एसडी कार्ड के बन्द हालात में मन उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत किया और परिवादी ने बताया कि मैं और आपका कर्मचारी श्री सुण्डाराम आपके पास से रवाना होकर एसडीएम कार्यालय बांदीकुई के परिसर के बाहर पहूंचे जहां श्री सुण्डाराम ने अपने पास से वॉईस रिकॉर्डर को निकालकर चालू कर मुझे दे दिया जिसे मैं अपने पास रखकर एसडीएम कार्यालय बांदीकुई के अन्दर गया, जहॉ पर श्री आदित्य शर्मा उपस्थित मिला जो मुझे एसडीएम कार्यालय से बाहर लेकर आया और मेरे द्धारा एसडीएम कोर्ट बांदीकुई में पेश दावा मानसी बनाम शिवलखन वगै. की पत्रावली में एसडीएम से स्टे आदेश दिलवाने की एवजं में 15000/-रूपये रिश्वत की राशी एसडीएम रामसिंह राजावत व स्वयं के लिए मांग की। उक्त सारी बातो को मैंने आपके विभाग के टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली है तथा रिश्वत मांग सत्यापन के बाद सारी बातें मैंने आपके कर्मचारी को बता दी थी और टेप रिकॉर्डर इनको दे दिया था और इन्होंने टैप रिकॉर्डर बंद करके अपने पास रख लिया था इसके बाद हम दोनों वहॉ से रवाना होकर आपके पास आ गये। परिवादी की उक्त बातों की ताईद श्री सुण्डाराम. हैड कानि0 द्धारा भी की गई। तत्पश्चात डिजिटल वाईस रिकार्डर में ईयरफोन लगाकर सुना तो परिवादी व संदिग्ध आरोपी आदित्य शर्मा के द्धारा एसडीएम से स्टे आदेश करवाने के लिए 15000/-रूपये की रिश्वत मांग करने की स्पष्ट वार्ता होना पाई गई। उक्त विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को मय एसडी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया। परिवादी को अग्रिम कार्यवाही हेतु सोमवार को ट्रेप कार्यवाही के आयोजन हेतु एसीबी कार्यालय अलवर पहूंचने के लिए कहा गया तो परिवादी ने बताया कि मैं वकालत कार्य करता हूं। मेरा हिण्डोन न्यायालय मे दिनांक 20.04.2026 को केस लगा हुआ है मेरा वहां जाना जरूरी है इसलिए मैं अलवर नहीं आकर आपको सोमवार को यही पर ही मिल जाऊंगा और मैं अग्रिम कार्यवाही भी यही से ही करा पाऊंगा। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्धारा परिवादी को आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि 15000/-रूपये सहित दिनांक 20.04.2026 को समय बारह साढे बारह बजे उक्त कान्हा पवित्र भोजनालय ग्राम फूलेला पर उपस्थित मिलने व गोपनीयता की हिदायत देकर रवाना किया गया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस मय विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड 16 जीबी सैनडिस्क जिसमें रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 17.04.2026 रिकार्ड है को अपने पास सुरक्षित रखकर मय लैपटॉप, प्रिन्टर मय आवश्यक सामान के एसीबी स्टाफ श्री नरेन्द्र कुमार, सहायक उप निरीक्षक, श्री सुण्डाराम हैड कानि. 02 को हमराह लेकर सरकारी वाहन बोलेरो से कान्हा पवित्र भोजनालय ग्राम फूलेला बांदीकुई से रवाना होकर एसीबी कार्यालय अलवर पहॅूच विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड 16 जीबी सैनडिस्क जिसमें रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 17.04.2026 रिकार्ड है को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। वक्त करीब 5.10 पी.एम पर श्री भीम सिंह कानि. 192 को आयुक्त, आबकारी विभाग अलवर को जरिये पत्र, दो सरकारी कर्मचारी ब्यूरों की गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह हेतु पाबन्द कर अविलम्ब ब्यूरों कार्यालय में लाने हेतु रवाना किया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 5.30 पी.एम पर श्री भीम सिंह कानि. 192 मय कार्यालय आबकारी विभाग अलवर से दो गवाहान को साथ लेकर हाजिर कार्यालय आये। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्धारा दोनों गवाहान से अपना परिचय देकर नाम पता पूछने पर एक ने अपना नाम श्री भीम सिंह पुत्र श्री छुट्टन लाल जाति गुर्जर उम्र 33 साल निवासी ग्राम गहनपुर तहसील तिजारा जिला खैरथल-तिजारा हाल कनिष्ठ सहायक वृत अलवर पष्चिम आबकारी विभाग अलवर व दूसरे ने अपना नाम श्री दिनकर यादव पुत्र स्व. श्री परशराम यादव जाति यादव उम्र 39 साल निवासी ए-141 कर्मचारी कॉलोनी अशोक विहार अलवर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी आबकारी विभाग अलवर होना बताया। तत्पश्चात उक्त दोनों गवाहान को दिनांक 20.04.2026 समय 09.30 एएम पर उपस्थित कार्यालय आने के लिए पाबन्द कर एवं गोपनीयता की हिदायत देकर एसीबी चौकी अलवर से रवाना किया गया। तत्पश्चात दिनांक 20.04.2026 को वक्त करीब 9.30 एएम पर पूर्व से पाबन्दशुदा गवाहान श्री भीम सिंह, कनिष्ठ सहायक वृत अलवर पष्चिम आबकारी विभाग अलवर व श्री दिनकर यादव, सहायक प्रशासनिक अधिकारी आबकारी विभाग अलवर हाजिर कार्यालय आये। जिन्हे परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह शर्मा द्धारा करवाई जा रही कार्यवाही के बारे में अवगत करवाया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 11.00 ए.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी स्टाफ सदस्य सर्व श्री नरेन्द्र कुमार, सहायक उप निरीक्षक, श्रीमती सुनीता हैड कानि0 148, श्री सुण्डाराम हैड कानि. 02, रामजीत सिंह कानि. 206 मय वाईस रिकार्डर मय एसडी कार्ड जिसमें मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 17.04.2026 रिकार्ड है, ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर व एक दूसरा विभागीय डिजीटल टेप रिकॉर्डर एवं अन्य आवश्यक सामान के साथ सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक महेश चन्द तथा दोनों स्वतन्त्र गवाह श्री भीम सिंह व श्री दिनकर यादव, भीम सिंह कानि. 192, श्री भास्कर हैड कानि. 59, श्री कपिल सोमवंशी वरिष्ठ सहायक, श्री भगवान सिंह कानि. 125 एवं श्री नरेश कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के बैग में फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी को रखवा कर एक प्राईवेट वाहन से वास्ते करने ट्रैप कार्यवाही बजानिब बांदीकुई के लिये रवाना हुआ। श्री रामसिंह कानि. 549 को बाद हिदायत चौकी पर छोडा गया। तत्पश्चात वक्त करीब 12.10 पी.एम मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं हमराहीयान स्टाफ सदस्यों के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा कान्हा पवित्र भोजनालय ग्राम फूलेला बांदीकुई पहूंचे जहां पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी श्री सुरेन्द्र कुंमार शर्मा उपस्थित मिला जहां वाहनो को सडक की साईड वाली जगह पर खडा

करवाकर, वाहनो से नीचे उतरकर, कान्हा पवित्र भोजनालय होटल में बने कमरे में जाकर मन उप अधीक्षक ने परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा का दोनों गवाहान से करवाया गया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादी द्धारा दिनांक 17.04.026 को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी द्धारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात दोनों गवाहान को परिवादी से संदिग्ध आरोपी श्री आदित्य शर्मा द्धारा मांगी जा रही रिश्वत राशि के सम्बन्ध में करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन व अब तक की गई कार्यवाही के बारे में अवगत करवाया गया व लैपटॉप व स्पीकर की सहायता रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता सुनवाई गई। उक्त वार्ता में परिवादी ने अपनी व दूसरी अन्य आवाज संदिग्ध आरोपी आदित्य शर्मा की होना बताया। रिकार्ड वार्ता में दोनो गवाहान द्धारा भी रिश्वत मांग करना पाये जाने पर सहमत हुये। तत्पश्चात वक्त करीब 12.30 पी.एम पर मौतबीरान के समक्ष मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा को संदिग्द आरोपी श्री रामसिंह राजावत उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा के कर्मचारी श्री आदित्य को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा तो परिवादी ने भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 30 नोट कुल राशी 15,000/- रूपये निकालकर पेश किये। परिवादी द्धारा गवाहान के समक्ष पेश की गई प्रचलित भारतीय मुद्रा के 15000/-रूपये के नोटो का विवरण फर्द में अंकित किया गया। उपरोक्त पेश शुदा नोटो को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर फर्द में अंकित नम्बरो से मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया तो पेशषुदा नोटो के नम्बरो व फर्द में अंकित नम्बर एक समान ही पाये गये। उपरोक्त रिश्वत राशी मुताबिक रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता अनुसार संदिग्ध आरोपी को दी जानी है, उक्त प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 30 नोटो पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने हेतु श्री नरेश कुमार शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के हमरा लाये बैग मे रखी हुई फिनोफ्थली पाउडर की शीशी निकलवाई जाकर श्री नरेश कुमार शर्मा से उक्त भोजनालय पर पर रखे एक साफ अखबार को भोजनालय में रखी चारपाई पर बिछाकर उस अखबार के उपर फिनोफ्थलीन पाऊडर निकालवाकर सभी नोटो पर भलिभांति लगवाया गया, तत्पश्चात परिवादी की जामा तलाशी गवाह श्री दिनकर यादव से लिवायी गयी तो परिवादी के पास कोई भी दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी केवल उसका मोबाईल एवं स्वयं का पहचान पत्र ही रहने दिया गया, इसके बाद श्री नरेश कुमार शर्मा से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे हुये भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 30 नोटो कुल 15000/- रूपये परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की बगल की बाई जेब में श्री नरेश कुमार शर्मा से रखवाये गये, तथा परिवादी को समझाईस की गई की अब वह इन पाऊडर युक्त नोटो को अनावष्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही अपने पास से रिश्वत राशी निकालकर आरोपी को देवे तथा आरोपी द्धारा उक्त नोटो को प्राप्त करके कहां पर रखता है इसका पूरा पूरा ध्यान रखे तथा कोई बहाना बनाकर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर अथवा मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल फोन से मिस कॉल/मैसेज कर मुझे या ट्रेप पार्टी के सदस्यो को ईषारा करे साथ ही दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी हिदायत दी गई की वे जहां तक सम्भव हो सके परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वत के लेनदेन को देखने तथा उनके मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने का प्रयास करे साथ ही समस्त ट्रेप पाटी सदस्यों को भी आवश्यक हिदायत दी गई। इसके बाद श्री नरेश कुमार शर्मा से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी श्री नरेश शर्मा के बैग में वापस रखवायी गयी उसके पश्चात एक नये प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में श्री सुण्डाराम हैड कानि0 से भोजनालय के जग से साफ पानी मंगवाया जाकर उसमें ट्रेप बॉक्स में रखी सोडियम कार्बोनेट पाउडर की शीशी श्री भास्कर हैड कानि. 59 से निकलवाई जाकर एक प्लास्टिक डिस्पोजल नये गिलास में पानी से आधा भरकर उसमें सोडीयम कार्बोनेट पाउडर उचित मात्रा मे डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्री नरेश कुमार शर्मा,की फिनोफ्थलीन युक्त हाथ की अगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी एवं दोनों गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाऊडर लगे नोटां को छुयेगा तो उसके हाथो मे फिनोफ्थलीन पाऊडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर धौवन का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वत राशि को अपने हाथां से प्राप्त किया है।इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया तथा डिस्पोजल गिलास एवं उक्त अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात श्री नरेश कुमार शर्मा के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाली शीशीया मय ढक्कन, गिलास, चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से श्री भगवान कानि. से धुलवाया गया तथा ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया, तथा परिवादी को छोडकर ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई, तो विभागीय परिचय पत्र एवं मोबाईल के अलावा कोई भी वस्तु/दस्तावेज नही छोडे गये। तत्पश्चात साथ लाये हुये विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड सेनडिस्क कम्पनी 16 जीबी को लगाकर, खाली होना सुनिश्चित कर उक्त विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर सुपुर्द किया गया तथा श्री सुण्डाराम हैड कानि. को हिदायत दी गई की परिवादी को आरोपी के पास रवाना करने से पूर्व विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालु कर सुपुर्द करे इस कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये। तत्पश्चात वक्त करीब 1.15 पीएम मन उप अधीक्षक पुलिस

मय परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, श्री भीम सिंह स्वतंत्र गवाह, श्री सुण्डाराम हैड कानि. परिवादी के साथ उसकी कार से व श्री दिनकर यादव गवाह एवं एसीबी स्टाफ साथ लाये हुये वाहनो से वास्ते करने ट्रैप कार्यवाही कान्हा पवित्र भोजनालय ग्राम फूलेला से एसडीएम कार्यालय बांदीकुई के लिये रवाना हुआ। श्री नरेश कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी को मय फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी के मुनासिब हिदायत देकर वहीं से एसीबी कार्यालय अलवर के लिए रवाना किया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 1.20 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं हमराहीयान स्टाफ सदस्यों के उपरोक्त फिकरा का कार्यालय एसडीएम बांदीकुई के पास पहूंचे जहां वाहनो को सडक की साईड वाली जगह पर खडा करवाकर, वाहनो से नीचे उतरकर डिजिटल टेपरिकॉर्ड श्री सुण्डाराम हैड कानि. से चालू करवाकर परिवादी को सुपुर्द करवाया गया और परिवादी को मुनासिब हिदायत देकर आरोपी श्री आदित्य शर्मा के पास एसडीएम कार्यालय के लिए रवाना किया परिवादी के पीछे पीछे मन् उप पुलिस अधीक्षक, दोनो गवाहान व बाकी स्टाफ सदस्य भी अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये एसडीएम कार्यालय व परिसर के आस पास परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। तत्पश्चात परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा ने एसडीएम कार्यालय परिसर में खडे होकर वक्त करीब 1.56 पी.एम पर अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत राशि देने का निर्धारित ईशारा किया मन उप अधीक्षक पुलिस, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं टीम सदस्यो ने देखा मन् उप अधीक्षक पुलिस उपरोक्त दोनो मौतविरान एवं ब्यूरो टीम के समस्त सदस्यो को हमराह लेकर उक्त परिसर में परिवादी के पास पहूंचा जहां परिवादी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया और परिवादी ने दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यो के सामने बताया की अभी अभी आपके निर्देशानुसार एसडीएम कार्यालय के कर्मचारी के पास आया तो मुझे कार्यालय में नही मिलने पर मैने आदित्य के मोबाईल पर फोन किया तो आदित्य ने मुझसे कहा की मै तो एसडीएम साहब के पास अन्दर चैम्बर में हूं और मुझे कहा की आप शेरू नाम के कर्मचारी को पैसे देने के लिये कहा इस पर मैने शेरू को पैसे नही दिये और आदित्य का इन्तजार किया फिर कुछ समय बाद आदित्य एसडीएम कार्यालय परिसर के खुले स्थान पर आया तब मैने उससे मेरे काम की बातचीत करते हुये एसडीएम कार्यालय के स्टाफ कक्ष में ले जाकर आलमारियों के पिछे ईशारे से रिश्वत मांगने पर अपने पास से पाउडर युक्त नोट निकालकर आदित्य को दे दिये तो आदित्य ने उक्त राशि अपने बायें हाथ में लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बायीं तरफ सामने की जेब रख लिये और सीसे के गेट की तरफ ईशारा कर बताया की आदित्य मुझसे रिश्वति राशि लेकर इसी कमरे के अन्दर चला गया और मैने आपको ईशार कर दिया। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस उक्त कक्ष मे मय हमराहीयान के सीसे के गेट को खोलकर प्रवेश किया तो उक्त कमरे में लगी बैंच पर लाल शर्ट व काली पेंट पहने हुये व्यक्ति की तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया की साहब ये ही आदित्य कुमार शर्मा एसडीएम कार्यालय का कर्मचारी है जिसने अभी कुछ देर पहले मुझसे मेरे केस मानसी बनाम शिवलखन मे स्टे आदेश एसडीएम से दिलवाने के लिये 15000/-रिश्वत ईशारे से मांगकर अपने बाये हाथ में लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की बायी तरफ की जेब में रख लिये। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने उक्त बैंच पर बैठे हुये व्यक्ति को अपना व ट्रेप पार्टी का परिचय देकर उसे आने का मन्तव्य बताकर उसका नाम पता पूछा तो व भागने का प्रयास करने लगा जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने हमरा जाप्ते से निरूद्ध करवाया जाकर उक्त बैंच पर बैठाकर उसे तसल्ली देकर पुनः उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम आदित्य कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री विनोद कुमार शर्मा, जाति ब्राहमण उम्र 23 साल निवासी अणची का बास वार्ड नम्बर 30 बादीकुई जिला दौसा प्रयांगशाला सहायक रा.उ.मा वि. बसवा हाल प्रतिनियुक्ति एसडीएम कार्यालय बांदीकुई जिला दौसा होना बताया। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्धारा दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यो के समक्ष आरोपी श्री आदित्य कुमार शर्मा, प्रयोगशाला सहायक से परिवादी से अभी ली गई रिश्वत राशि किस काम के लिये ली और अभी कहां है के बारे में पूछा तो श्री आदित्य कुमार शर्मा, प्रयोगशाला सहायक ने बताया की मैने वकील साहब से कोई रिश्वत की मांग की और ना ही ली है। इस पर पास खडे परिवादी स्वयं ने ही बताया की साहब ये झूठ बोल रहा है। मैने दिनांक 15.04.2026 का मानसी बनाम शिवलखन वैगरा का दावा और स्टे आदेश के लिये पत्रावली एसडीएम साहब को पेश की थी एसडीएम साहब ने उक्त दोनो पत्रावली पर मार्क कर कार्यालय रिपोर्ट प्राप्त की गई और स्टे आदेश पर बहस सुनी जाकर मुझसे कहा की आप आदित्य से मिल लेना इसके बाद मै उसी दिन एसडीएम कार्यालय के कर्मचारी आदित्य से मिला और उसको बताया की मैने मानसी बनाम शिवलखन की फाईल लगाई है जिसमें स्टे के लिये बहस हो गई है, एसडीएम साहब ने आपसे बातचीत करने के लिये कहा तो इस पर आदित्य ने उसी दिन एसडीएम साहब से बातचीत कर मुझसे कहा की एसडीएम साहब ने 30000/-रूपये स्टे आदेश के लिये बताये है। इसके बाद मैने आपको शिकायत कर दी और आपने मेरी शिकायत पर कार्यवाही करते हुये दिनांक 17.04.2026 को रिश्वत मांग का सत्यापन करवाने पर इसके द्धारा पहले 20000/-रूपये की मांग की मेरे निवेदन करने पर 15000/-रूपये पर सहमत हो गया और आज उसी मांग के क्रम में इसके पास आया तो ये मुझे नही मिला मैने इसको फोन किया तो आदित्य ने मुझसे कहा की मै तो एसडीएम साहब के पास अन्दर चैम्बर में हूं और मुझे कहा की आप शेरू नाम के कर्मचारी को पैसे देने के लिये कहा। मैने शेरू को पैसे नही दिये और मैन आदित्य का इन्तजार किया फिर कुछ समय बाद आदित्य एसडीएम कार्यालय परिसर के खुले स्थान पर आया तब मैने उससे मेरे काम की बातचीत करते हुये एसडीएम कार्यालय के स्टाफ कक्ष में ले जाकर आलमारियों के पिछे ईशारे से रिश्वत मांगने पर मैने अपने पास से पाउडर युक्त नोट निकालकर आदित्य को दे दिये तो आदित्य ने उक्त

राशि अपने बाये हाथ में लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की बायी तरफ की जेब में रखकर सीसे के गेट के अन्दर चला गया और मैने आपको ईशारा कर दिया और आप आ गये। इस पर पुनः आरोपी से पूछा गया तो आरोपी चुप हो गया और कुछ नही बोला इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्धारा आरोपी को पुनः तसल्ली देकर रिश्वत राशि के बारे मे पूछा तो आरोपी ने बताया की दिनांक 15.04.2026 को वकील साहब मेरे पास आये और मुझसे कहा की मैने एक दावा मानसी बनाम शिवलखन का लगाया है जिसे स्टे की सुनवाई/बहस हो गई है और एसडीएम साहब ने आपसे मिलने के लिये कहा तो मैने एसडीएम साहब से बाचतीत कर इनको उसी दिन बता दिया था की आपके केस में स्टे आदेश देने के लिये 30000/-रूपये आपसे लेने के लिये कहा है उसके बाद वकील साहब मेरे पास से चले गये और दिनांक 17.04.2026 को मेरे पास दोपहर के आस पास आये और मेरे से मानसी बनाम शिवलखन के मामले मे पूछा तो मैन उनको 20000/-रूपये एसडीएम साहब के कहे अनुसार उनको बता दिये तो उन्होने थोडे रूपये ज्यादा होना बताने पर मैने 15000/-देने के लिये कहा और उससे कम नही करने के लिये कहा था, उसके बाद वकील साहब यहां से चले गये थे।इसके बाद आज अभी थोडी देर पहले इन्होने मुझे फोन किया तो मैने इनको बताया की मै एसडीएम साहब के पास हूं आप शेरू को पैसे दे दो थोडी देरे बाद मै एसडीएम साहब के कक्ष से बाहर आया तो वकील साहब मुझे बाहर मिल गये और उन्होने मेरे से केस के स्टे आदेश करवाने व स्टे आदेश को लम्बा चलाने के लिये बातचीत की मै वकील साहब से बातचीत करते हुये मै हमारे स्टाफ कक्ष के कमरे में जहां पर एक साथ आलमारियां रखी हुई है के पास लेकर गया और ईशारे से पैसे देने के लिये कहा तो इन्होने अपने पास से 15000/-रूपये निकालकर मुझे दिये और मैने इनसे 15000/-रूपये मेरे बाये हाथ में लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बायी जेब मे रख लिये और मेरे कमरे मे चला गया और वकील साहब वहां से चले गये। इसके कुछ देर पहले ही आप वकील साहब के साथ बाहर बातचीत कर रहे थे और वकील साहब ने मेरे कमरे की तरफ ईशार किया तब मैने आपको मेरी तरफ आते हुये देखकर वकील साहब से लिये गये 15000/-रूपये को मेरी पहनी हुई पेन्ट की बायी जेब से निकालकर कमरे में बैंच के पास निचे पटक दिये जो अभी निचे ही पडे हुये है। इस पर उक्त पडी हुई राशि को गवाह श्री भीम सिह से उठवाई जाकर पूर्व में बनी फर्द पेशकशी मे अंकित नम्बरो से दोनो गवाहान से मिलान करवाया गया तो उक्त बरामदशुदा नोट मुताबिक फर्द पेशकशी के 500- 500 के 30 नोट कुल 15000/-रूपये नम्बरी नोट होना पाये गये। जिने गवाह श्री भीम सिंह से पास सुरक्षित रखवाये गये। तत्पश्चात उक्त कमरे में लगी हुई टेबिल पर रखी हुई खाली पानी की बोतल में स्टाफ की सहायता से परिसर में रखे कैम्पर से पानी मगवाया जाकर स्टाफ से ट्रैप बाक्स से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी नये डिस्पोजल गिलासों को निकालकर उक्त दोनो प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में साफ पानी भरकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त गिलासो मे से एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री आदित्य कुमार शर्मा, के बाये हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डुबोकर उनका धोवन लिया गया तो गिलास के धोवन का रंग गुलाबी हुआ, जिसे सम्बन्धितो ने देखकर गिलास के धोवन का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क L-1, L-2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद दूसरे गिलास के घोल में आरोपी श्री आदित्य कुमार शर्मा के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को डुबोकर धोवन लिया गया तो उस गिलास के धोवन का रंग गैदमेला हो गया जिसे सभी सम्बन्धितों ने देखकर गिलास के धोवन का रंग गैदमैला होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त गिलास के धोवन को भी दो साफ काँच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पा कर सभी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क R-1, R-2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान मय गवहान के आरोपी श्री आदित्य कुमार शर्मा को उक्त कक्ष के पास बने एसडीएम कक्ष मे लेकर गये जहां पर एसडीएम के कक्ष एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला जिसको मन उप अधीक्षक पुलिस अपना व हमाहियान का परिचय देकर कार्यवाही के अवगत कराते हुये आने का मन्तव्य बताया और उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री रामसिह राजावत पुत्र श्री माधोसिह राजावत जाति राजपूत उम्र 50 साल निवासी सीटीएस बैस स्टैण्ड के पास गुर्जरो का मोहल्ला सांगानेर जयपुर हाल उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा होना बताया। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने दोनो गवाहान व परिवादी के समक्ष श्री रामसिंह राजावात एसडीएम बांदीकुई व श्री आदित्य शर्मा, को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई तो आरोपी आदित्य ने श्री रामसिंह राजावत एसडीएम बांदीकुई के समक्ष ही परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट से मानसी बनाम शिव लखन के दावे में स्टे आदेश करने के लिये उपखण्ड अधिकारी के कहे अनुसार ही 15000/-रूपये की रिश्वत की मांग करना बताया तथा उसी मांग के क्रम आज परिवादी से 15000/-रूपये रिश्वत राशि लेना स्वीकार किया तथा श्री रामसिंह राजावत उपखण्ड अधिकारी ने उक्त आरोपो से इनकार किया। इसके बाद गवाह श्री भीम सिह के पास फर्स से बरामदशुदा रिश्वत राशि रखवाई गई को पेश करने की कहने पर श्री भीम सिह ने उक्त रिश्वत राशि अपने पास से निकालकर पेश की उक्त बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 30 नोट कुल 15000/- को पेश करने पर उक्त बरामदशुदा रिश्वत राशि को एक सफेद कपडे के साथ नत्थीकर शील मोहर कर उक्त कपडे पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क TM अंकित कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके आरोपी की जामा तलाशी गवाह श्री भीम सिंह से लिवाई गई तो आरोपी की पेन्ट की दाहिने जेब में एक

पर्स बरंग ब्राउन मिला जिसमें आरोपी का ड्राईविग लाईसेन आरजे 29 20220006237 व एक आधार कार्ड 2750 व 600/रूपये नगद राशि व दो मोबाईल फोन मिले जिसमें एक मोबाईल 17 प्रो बरंग ब्लयू जिसमें एयरटेल कम्पनी की सिम तथा दूसरा मोबाईल मोटोरोला कम्पनी मॉडल एडीजीई 60 प्रो जिसमें जिओ रिलाईन्स कम्पनी की सिम नम्बर होना बताया जिनको गवाह श्री दिनकर यादव के पास सुरक्षित रखवाया गया। इसके बाद बाजार से नया लोवर मंगवाया जाकर एसडीएम कक्ष में ही आरोपी श्री आदित्य कुमार शर्मा के बदन पर पहनी हुई पेन्ट बरंग ब्लैक को शिष्टाचार पूर्वक उतरवाई जाकर लोवर पहनाया गया। तत्पश्चात उक्त पेन्ट की बगल की बायी जेब जिसमें आरोपी ने परिवादी से 15000/-रूपये की रिश्वत राशि लेकर रखी थी तथा एसीबी टीम को देखकर उक्त जेब से रिश्वत राशि निकालकर अपने कमरे के कक्ष मे फर्स पर गिरा दी। तत्पश्चात एक नये पारदर्शी डिस्पोजल गिलास ट्रेप बॉक्स से निकलवाकर उसे पानी से साफ करवाकर उक्त कमरे में रखी पानी की बोतल से पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर घोल तैयार करवाया गया उक्त घोल रंगहीन रहा, उक्त घोल में आरोपी श्री आदित्य कुमार शर्मा के बदन से उतरवाई गई पेन्ट की बगल की बायी जेब जिसमें से रिश्वत राशि निकालकर फर्स पर गिरा दी थी को उल्टा करके डूबोकर धुलवाया गया तो धौवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे देखकर सभी ने गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धौवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा आधा भरवाकर शीशियों पर चिट चस्पा कर सील मोहर कर चिट चस्पा व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P-1, P-2 अंकित कर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद आरोपी के बदन से उतरवाई गई पेन्ट बगल की बायी जेब जिसे उल्टाकर धौवन लिया गया है, उक्त जेब को सुखाकर उक्त जेब पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडे थैली में रखकर सील मोहर का उक्त थैली पर सभी संबधितो के हस्ताकर करवाकर मार्क P अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त कार्यवाही में रिश्वत लेन देन के वक्त हुई रूबरू वार्तालाप विभागीय रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है जिसे चालू कर सुना गया तो रिश्वत लेन देने की वार्ता रिकॉर्ड होना पाई रिकॉर्डर को बंद कर सुरिक्षत ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। इसके बाद उपस्थित एसडीएम श्री रामसिंह राजावत को परिवादी के काम से संबंधित पत्रावली के बारे में पूछा तो उसने बताया की मानसी बनाव शिवलखन की पत्रावली मै आज कुछ देर पहले ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिये श्री विवेक कुमार शर्मा, कनिष्ठ सहायक के पास भिजवाई है, उक्त पत्रावलियो को मंगवाने की कहने पर एसडीएम के रीडर श्री हैपी कुमार शर्मा ने पेश की जिसका अवलोकन करने पर मानसी पवार बनाव शिवलखन सिंह के अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रथम पृष्ठ पर दिनांक 15.04.2026 को उप खण्ड अधिकारी द्धारा मार्क किया गया तथा उक्त पृष्ठ पर ही टीआई 73/2026 राजस्व रिकॉर्ड के दर्ज का अंकन किया हुआ है तथा उक्त पृष्ठ की पुस्त पर श्री हैपी कुमार शर्मा रीडर द्धारा दिनांक 15.04.2026 को कार्यालय रिपोर्ट की गई है तथा एसडीएम द्धारा दिनांक 15.04.2026 को ही टीआई जारी के आदेश अंकित है। उक्त पत्रावली मे 1 लगायत 32 पृष्ठ है। उक्त पत्रावली अनुसार परिवादी द्धारा पेश मानसी बनाम शिवलखन के दावे में अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित करना बकाया होना पाया गया। रिकॉर्ड अनुसार परिवादी का काम एसडीएम कार्यालय मे पैण्डिग था। परिवादी का कार्य प्रभावित नही होने को मध्य नजर रखते हुये उक्त पत्रावली की फोटो प्रति श्री हैपी कुमार शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी/रीडर द्धारा प्रमाणित कर पेश की गई जिसके प्रथम व अंतिम पृष्ठ पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। मूल पत्रावली श्री हैपी कुमार शर्मा रीडर को सुपुर्द की गई। फर्द बरामदगी एवं हाथ धुलाई की कार्यवाही की विडियो ग्राफी कार्यालय के सरकारी मोबाईल फोन में 16 जी.बी.सैनडिक्स कम्पनी का एस.डी कार्ड लगवाया जाकर श्री भास्कर हैडकानि से करवाई गई। इसके बाद परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा व आरोपी श्री आदित्य कुमार शर्मा को एक साथ आमने सामने कर पूछा गया कि आपकी कोई आपसी रंजिश या दुश्मनी या कोई रूपये पैसे का लेन-देन तो बकाया नही है तो दोनो ने ही अपनी अपनी स्वेच्छा से इन्कार किया, इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिब की जाकर नमूना सील नम्बर 71 अंकित की गई। तत्पश्चात वक्त करीब 5.00 पी.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के उपरोक्त मौतबिरान के रूबरू परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा से आरोपी श्री आदित्य कुमार शर्मा, प्रयोगषाला सहायक रा.उ.मा.वि. बसवा हाल प्रतिनियुक्ति एसडीएम कार्यालय बांदीकुई जिला दौसा द्धारा 15000/-रूपये रिश्वत प्राप्त करने पर परिवादी द्धारा निर्धारित ईशारा मिलने पर बरामदी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई की कार्यवाही शुरू की गई थी कार्यवाही के दौरान श्री भास्कर हैड कानि. 59 द्धारा सरकारी मोबाईल में नया एसडी कार्ड सेनडिस्क 16 जीबी डालकर श्री भास्कर हैड कानि. से वीडियोग्राफी तैयार करवाई गई थी। उक्त मोबाईल से मेमोरी कार्ड निकालकर मेमोरी कार्ड को लैपटॉप मे कनेक्ट कर करवाई गई वीडियोग्राफी को लैपटॉप मे सेव करवाया गया, करवाई गई वीडियो ग्राफी की दो पेन ड्राईव सेनडिस्क 16 जीबी के बारी बारी तैयार करवाये गये। पेन ड्राईव को लैपटॉप मे सेव वीडियोग्राफी से मिलान किया गया तो मेमोरी कार्ड में हुई वीडियोग्राफी का मिलान होना पाया गया। पेनड्राईव को पृथक पृथक प्लास्टिक की डिब्बी मे रखकर पेनड्राईव को पृथक पृथक सफेद कपडे की थैली मे रखकर मार्क क्रमशः V-1, V-2, अंकित कर पेन ड्राईव मार्क V-1 को सील मोहर कर कपडे की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। पेन ड्राईव मार्क V-2 को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। उक्त विडियो क्लिप के मूल एस.डी. मैमोरी कार्ड सेनडिस्क 16 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त मोबाईल फोन से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर, उक्त कार्ड को एक खाली प्लास्टिक की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त प्लास्टिक की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित

हालात मे रखकर थैली को सीलचिट कर उस पर मार्क SD अंकित कर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 5.30 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने दोनो गवाहान के समक्ष आरोपी श्री आदित्य कुमार शर्मा पुत्र श्री स्व. श्री विनोद कुमार शर्मा, जाति ब्राहम्ण उम्र 23 साल निवासी अणची का बास वार्ड नम्बर 30 बांदीकुई जिला दौसा, प्रयोगषाला सहायक रा.उ.मा.वि. बसवा हाल प्रतिनियुक्ति एसडीएम कार्यालय बांदीकुई जिला दौसा को जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत कारित किया जाने पर आरोपी के कृत्य के क्रम में बीएनएसएस 2023 में प्रावधानो के अनुसार गिरफतारी के आधार के क्रम मे नोटिस जारी किया जाकर एक प्रति आरोपी श्री आदित्य कुमार शर्मा, प्रयोगषाला सहायक रा.उ.मा.वि. बसवा हाल प्रतिनियुक्ति एसडीएम कार्यालय बांदीकुई जिला दौसा को देकर हस्ताक्षर करवा कर सूचित किया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 5.40 पी.एम पर उपरोक्त मौतबिरान एवं परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा के समक्ष परिवादी एवं आरोपी श्री आदित्य कुमार शर्मा, प्रयोगषाला सहायक रा.उ.मा.वि. बसवा हाल प्रतिनियुक्ति एसडीएम कार्यालय बांदीकुई जिला दौसा के मध्य दिनांक 17.04.2026 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय रूबरू वार्ता के रिकोर्डर में रिकार्डशुदा एसडी मैमोरी सनडिस्क 16 जीबी के मैमोरी कार्ड के फोल्डर 01 में रिकॉर्डशुदा वार्ता को चलाकर सुनकर कार्यालय की आलमारी मे सुरक्षित रखा था। कार्यालय की आलमारी में मेरी निगरानी व निर्देशन में रखवाये गये राजकीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे डले हुये एसडी मैमोरी कार्ड सहित को आज दिनांक 20.04.20026 को कार्यालय की आलमारी से बाहर निकालकर साथ लाये डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को विभागीय लैपटॉप से जोडकर चालू कर टेबिल स्पीकर की सहायता से रिकॉर्ड वार्तालाप को सुना गया जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनाई गई। उपरोक्त वार्तालाप में परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा एवं स्वतंत्र गवाहान को सुनाई तो फर्द वार्ता रुपान्तरण परिवादी व स्वतंत्र गवाहान ने रिकार्डिंग वार्ता के अनुसार होना बताया। परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा ने रिकॉर्ड वार्ता में स्वयं की व आरोपी श्री आदित्य शर्मा की होने की पहचान की गई। डिजीटल वॉयस रिकार्डर मे लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को कार्यालय लैपटॉप की सहायता से उक्त वार्ता की तीन पैनड्राईव कम्पनी सेनडिस्क 16 जीबी के तैयार किये गये। एक पैनड्राईव की कार्यालय लैपटॉप की सहायता से एक्सटीरियों एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर से हैश वैल्यु निकाली गई। तीनों पेनड्राईवों पर क्रमशः मार्क A-1, A-2, A-3 अंकित कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा के हस्ताक्षर करवाकर, पेनड्राईव मार्क A-1, A-2 को अलग-अलग प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर प्रत्येक पेनड्राईव सफेद कपडे की अलग-अलग थैलियों में रखकर कपडे की थैलीयों पर भी क्रमशः मार्क A-1, A-2 अंकित कर शील्डमोहर कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा पेनड्राईव मार्क A-3 को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। डिजीटल वॉईस रिकार्डर में लगे मूल मैमोरी कार्ड को कार्यालय लैपटॉप की सहायता से उसमें सेव वार्ता की एक्सटीरियो एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर हेश वैल्यु निकाली गई। तत्पश्चात उक्त मूल मैमोरी कार्ड सेनडिस्क 16 जीबी जिसमें वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 17.04.2026 रिकॉर्ड है को प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर, प्लास्टिक की डिब्बी सहित सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शील्डमोहर किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क SD-1 अंकित किया जाकर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। उक्त पेनड्राइव व ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्री भगवान सिंह कानि0 125 से तैयार करवाई गई। तत्पश्चाता वक्त करीब 6.50 पी.एम पर उपरोक्त मौतबिरान एवं परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा के समक्ष परिवादी एवं आरोपी श्री आदित्य कुमार शर्मा, प्रयोगषाला सहायक रा.उ.मा.वि. बसवा हाल प्रतिनियुक्ति एसडीएम कार्यालय बांदीकुई जिला दौसा के मध्य आज दिनांक 20.04.2026 को रिश्वत लेन देन के समय हुई रूबरू वार्ता के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगे सनडिस्क 16 जीबी के मैमोरी कार्ड के फोल्डर 01 में रिकॉर्डशुदा वार्ता को चलाकर वार्ता के मुख्य अंश सुनकर अपने पास रखा था, को विभागीय लैपटॉप से जोडकर चालू कर टेबिल स्पीकर की सहायता से रिकॉर्ड वार्तालाप को सुना गया जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई। उपरोक्त वार्तालाप में परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा ने अपनी स्वयं व आरोपी श्री आदित्य शर्मा की आवाज की पहचान की, उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप को सम्बन्धित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनों गवाहान एवं परिवादी ने पूर्ण रूपेण सही होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप की पेनड्राईव बनाने हेतु तीन खाली पेनड्राईव जिस पर सेनडिस्क 16 जीबी अंकित है मंगवाई जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में डले सेनडिस्क 16 जीबी मैमोरी कार्ड के रिकॉर्डिंग फाईल के फोल्डर 01 मे रिकॉर्डशुदा वार्तालाप को श्री भगवान सिंह कानि0 125 से मन उप अधीक्षक पुलिस द्धारा अपने स्वयं के निर्देशन में उक्त वार्ताओं को कार्यालय के लेपटॉप की सहायता से बारी-बारी से तीन पेनड्राईव में कॉपी कर तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान वार्ता सही होना सुनिश्चित कर तीनों पेनड्राईवों पर क्रमशः मार्क B-1, B-2, B-3 अंकित कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा के हस्ताक्षर करवाकर, एक पैनड्राईव की कार्यालय लैपटॉप की सहायता से एक्सटीरियों एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर से हेश वैल्यु निकाली गई। पेनड्राईव मार्क B-1, B-2, को अलग-अलग प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर प्रत्येक पेनड्राईव को प्लास्टिक की डिब्बी सहित सफेद कपडे की अलग-अलग थैलीयों में रखकर कपडे की थैलीयों पर भी क्रमशः मार्क B-1, B-2, अंकित कर शील्डमोहर कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा पेनड्राईव मार्क B-3 को खुला रखा गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मूल मैमोरी कार्ड को कार्यालय लैपटॉप की सहायता से उसमें सेव वार्ता की एक्सटीरियो एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर हेश

वैल्यु निकाली गई। तत्पश्चात उक्त मूल मैमोरी कार्ड सेनडिस्क 16 जीबी जिसमें वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 20.04.2026 रिकॉर्ड है को प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर, प्लास्टिक की डिब्बी सहित सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शील्डमोहर किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क SD-2 अंकित किया जाकर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 8.05 पी.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने गवाहान के समक्ष एवं परिवादी श्री आदित्य कुमार शर्मा पुत्र श्री स्व. श्री विनोद कुमार शर्मा, जाति ब्राहम्ण उम्र 23 साल निवासी अणची का बास वार्ड नम्बर 30 बांदीकुई जिला दौसा, प्रयोगशाला सहायक रा.उ.मा.वि. बसवा हाल प्रतिनियुक्ति एसडीएम कार्यालय बांदीकुई जिला दौसा को हस्बकायदा जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 8.30 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही मे वजह सबूत को शील्ड करने एवं फर्दांत आदि पर नमूना सील अंकित करने के प्रयुक्त मे ली गई पीतल की नमूना ब्रास सील नम्बर 71 को श्री सुण्डाराम हैड कानि 02 जरिये तुडवाकर नष्ट कराया जाकर फर्द नष्टीकरण तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षकर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। समस्त ट्रेप कार्यवाही के पश्चात परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा को बाद कार्यवाही कार्यालय एसडीएम बांदीकुई से उसके निवास के लिए रूखस्त किया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 8.40 पी.एम मन उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी स्टाफ सदस्य श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, श्रीमती सुनीता हैड कानि0 148, सुण्डाराम हैड कानि0 02, श्री रामजीत सिंह कानि. 206, श्री भगवान सिंह कानि. 125, श्री भास्कर हैड कानि. 59, श्री भीम सिंह कानि. 192 व श्री कपिल सोमवंशी वरिष्ठ सहायक, दोनो गवाहान एवं जप्तशुदा आर्टिक्लस मय ट्रेप बॉक्स लैपटॉप, प्रिन्टर, मय जप्त की गई रिश्वत राशि के तथा गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री आदित्य कुमार शर्मा प्रयोगषाला सहायक रा.उ.मा.वि. बसवा हाल प्रतिनियुक्ति एसडीएम कार्यालय बांदीकुई जिला दौसा को साथ लेकर हमराह साथ लाये वाहनों से एसडीएम कार्यालय बांदीकुई से अलवर के लिए रवाना हुआ। वक्त करीब 10.00 पी.एम उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी स्टाफ सदस्य व दोनो गवाहान एवं जप्तशुदा आर्टिक्लस मय ट्रेप बॉक्स लैपटॉप, प्रिन्टर, मय जप्त की गई रिश्वत राशि के मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री आदित्य कुमार शर्मा प्रयोगषाला सहायक रा.उ.मा.वि. बसवा हाल प्रतिनियुक्ति एसडीएम कार्यालय बांदीकुई जिला दौसा के बांदीकुई से रवाना होकर एसीबी चौकी अलवर पहूंचा जप्तशुदा एवं शील्डशुदा समस्त आर्टिक्लस मय ट्रेप बॉक्स के कार्यालय में रखा गया। आरोपी को स्टाफ की निगरानी में कार्यालय में बैठाया गया। तत्पश्चात गवाह श्री भीम सिंह कनिष्ठ सहायक वृत अलवर पश्चिम आबकारी विभाग अलवर व श्री दिनकर यादव सहायक प्रशासनिक अधिकारी आबकारी विभाग अलवर को बाद कार्यवाही एसीबी चौकी अलवर से जाय तैनाती/निवास के लिए रूखस्त किया गया। वक्त करीब 10.30 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही में जप्त/शील्डशुदा समस्त वजह सबूत माल/आर्टिकल को मालाखाना प्रभारी श्री भास्कर हैड कानि. 59 के मार्फत चौकी हाजा के मालखाना में दुरूस्त हालत मे जमा करवाया गया। अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से दिनांक 17.04.2026 को परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा की लिखित रिपोर्ट दिनांक 20.04.2026 पर आयोजित की गई ट्रैप कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री आदित्य कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री विनोद कुमार शर्मा, जाति ब्राहमण उम्र 23 साल निवासी अणची का बास वार्ड नम्बर 30 बादीकुई जिला दौसा प्रयांगशाला सहायक रा.उ.मा.वि. बसवा हाल प्रतिनियुक्ति एसडीएम कार्यालय बांदीकुई जिला दौसा द्धारा अपने वैध पारिश्रम के अलावा भ्रष्ट आचरण रखते हुये स्वयं के लिये श्री रामसिंह राजावत एसडीएम बांदीकुई जिला दौसा के नाम से परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा के द्धारा एसडीएम न्यायालय बांदीकुई जिला दौसा मे दायर वाद मानसी बनाम शिवलखन वगै में स्टे आदेश एसडीएम बांदीकुई से दिलवाने के लिये एसडीएम बांदीकुई के कहे अनुसार परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा से दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 17.04.2026 को श्री रामसिंह राजावत एसडीएम बांदीकुई के नाम से 15000/- रिश्वत की मांग कर सहमत होना एवं उक्त मांग के अनुसरण मे आज दिनांक 20.04.2026 को एसडीएम कार्यालय बांदीकुई जिला दौसा में परिवादी श्री सुरेन्द्र शर्मा से श्री रामसिंह राजावत एसडीएम बांदीकुई के नाम से 15000/-रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त कर व ग्रहण की गई व उक्त ग्रहण की गइ रिश्वत राशि आपके कब्जे से बरामद होने से आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा से संबंधित दावा मानसी बनाम शिवलखन के अवलोकन से परिवादी का कार्य मांग सत्यापन व ट्रेप कार्यवाही के समय श्री रामसिंह सिंह राजावत उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड बांदीकुई के पास लम्बित था। अतः आरोपी श्री आदित्य कुमार शर्मा पुत्र श्री स्व. श्री विनोद कुमार शर्मा, जाति ब्राहम्ण उम्र 23 साल निवासी अणची का बास वार्ड नम्बर 30 बांदीकुई जिला दौसा, प्रयोगशाला सहायक रा.उ.मा.वि. बसवा हाल प्रतिनियुक्ति एसडीएम कार्यालय बांदीकुई जिला दौसा का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर को प्रेषित है। संदिग्ध आरोपी श्री रामसिंह राजावत उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड बांदीकुई की संलिप्ता के क्रम में अनुसंधान के दौरान स्पष्ट किया जा सकेगा। भवदीय (शब्बीर खान) उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम अलवर...........कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शब्बीर खान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम अलवर ने प्रेषित की है मजमून

रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) में आरोपी श्री आदित्य कुमार शर्मा पुत्र श्री स्व. श्री विनोद कुमार शर्मा, जाति ब्राहम्ण उम्र 23 साल निवासी अणची का बास वार्ड नम्बर 30 बांदीकुई जिला दौसा, प्रयोगशाला सहायक रा.उ.मा.वि. बसवा हाल प्रतिनियुक्ति एसडीएम कार्यालय बांदीकुई जिला दौसा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री रविन्द्र सिंह, पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 476 पर अंकित है। (पीयूष दीक्षित) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 680-83 दिनांक 22.04.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-02, जयपुर 2- जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमकि शिक्षा, जिला दौसा 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जयपुर 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम अलवर । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Ravindra Singh Shekhawat **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Piyush Dixit
Location: Rajasthan,IN
Date: 22/04/2026 11:10:17

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): PIYUSH DIXIT

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	2003				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)